

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 31/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. ...(अ) भारत सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 273, तारीख 25 अक्टूबर, 1958 को अधिक्रान्त करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 993 (अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए अधिक्रमण किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान करते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा छूट देती है कि डाक वस्तुओं की विषयवस्तु, जिसे मूलतः भारत में प्रेषित किया गया और किसी भी समय उनके मूल प्रेषित से डाकघर की अभिरक्षा में छोड़ा नहीं गया, भारत में डाकघर को बिना दावाकृत वापस किया जाता है, जो भारत में आयातीत है, अस्वीकृत या पुनः निदेशित किया गया है, कुल सीमाशुल्क को उद्गृहीत किया जाता है जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 7 के अधीन समेकित कर से उद्गृहीत किया जाता है :

परंतु जब किसी वस्तु का भारत से बाहर निर्यात किया जाता था तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता था ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार